

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं.): 0121 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 25/06/2024 18:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 07/06/2024 Date To (दिनांक तक): 24/06/2024
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:55 बजे Time To (समय तक): 15:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 25/06/2024 Time (समय): 18:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय): 25/06/2024 18:56:26 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-EAST, 22 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): SREE BALAJI LIBRARY MOD, PATWAR OFFICE TEMPORARY, BARALA

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): KALURAM

(b) Father's Name (पिता का नाम): MANGALRAM

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1998

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KHAJURIYA BRAHMANAAN, BASSI, KANOTA, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KHAJURIYA BRAHMANAAN, BASSI, KANOTA, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	REENA SOYAL		पत्नी:PRAKASH	1. GHATI KAROLAN- KHO NAGORIYAN, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	RODOO		पिता:CHAUTHOO	1. GANGARAMPURA, BASSI, JAIPUR CITY

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नली करे)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
-----------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	45,000.00
---	------------------	-------	-----------

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 45,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 07.06.2024 को परिवादी श्री कालूराम रैगर पुत्र श्री मंगलराम, उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम खिजूरियां ब्राहमणान तहसील बस्ती, पुलिस थाना कानोता, जयपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र चौकी जयपुर ग्रामीण जयपुर पर उपस्थित होकर इस आशय का पेश किया गया था कि "सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी चौकी जयपुर देहात विषय - रिश्चत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि ग्राम खिजूरियां ब्राहमणान का निवास हूं तथा खिजूरियां ब्राहमणान मे मेरे पिताजी श्री मंगलराम के नाम जमीन है मेरे पिताजी वृद्ध व्यक्ति होने के कारण घरा का सारा काम मे ही देखता हूं। हमे हमारी जमीन का सीमाज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार से मार्क करवाकर एप्लीकेशन दिनांक 13.5.24 को राजन्ती पटवारी को दी थी वह प्रेग्नेसेसी होने के कारण छुट्टीयो पर है इसका चार्ज उसके स्थान पर रीना पटवारी को मिला है तो उसने हमारी जमीन का मौका एक अन्य व्यक्ति के साथ देख लिया था तब मैने उसको सीमाज्ञान के लिए काटी जानी वाली रसीद जो सौ दौ सौ रूपये की होती है के लिए कहा तो रसीद के लिए पटवारी मैडम ने कहा वो तो रसीद का मै अपने आप देख लूंगी तथा मैने हमारी जमीन के सीमाज्ञान करने सम्बन्धित वाता कि तो रीना पटवारी ने हमारी जमीन सीमाज्ञान करने के लिए 60,00/- रूपये की मांग तथा उसके बाद हमारे पर तरश करते हुए 50,000/- रूपये मे बात तय की गयी। हम हमारे जायज कार्य की एवज मे पटवारी के रिश्चत नही देना चाहते है तथा पटवारी को रिश्चत लेते हुए पकड़वाना चाहते है। अतः मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करें। प्रार्थी एसडी/-कालूराम रैगर पुत्र मंगलराम उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम खिजूरियां ब्राहमणान तहसील बस्ती पुलिस थाना कानोता मो. दिनांक 7-6-2024" जिस पर दिनांक 18-6-2024 को रिश्चत मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपिया श्रीमती रीना पटवारी एवं श्री रोडू ग्राम प्रतिहारी द्वारा 45000/- रूपये रिश्चत की मांग करना पाया गया। जिसकी नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व डीवीडीया तैयार की गई। दिनांक 20-6-2024 स्वतंत्र गवाहान श्री गिरीराज प्रसाद एवं श्री जगदीश प्रसाद की उपस्थिति में परिवादी श्री कालूराम पुत्र श्री मंगलराम, उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम खिजूरिया ब्राहमणान तहसील बस्ती, पुलिस थाना कानोता को रिश्चत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्चत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री कालूराम रैगर ने अपने पास से पांच पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल 20000/- रूपये प्रस्तुत किए एवं बताया कि मेरे पास इतने रूपयो की ही व्यवस्था हुई है। इस पर कार्यालय में मौजूद डमी नोट जिन पर मनोरंजन बैंक ऑफ इण्डिया लिखा हुआ है देने का निर्णय लिया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत भारतीय मुद्रा के नोटों एवं डमी नोटो पर श्री सत्येन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक से फिनोलफथलीन पाउडर की शीशी निकवाकर भारतीय मुद्रा एवं डमी नोटो पर लगवाया गया। जिसकी नियमानुसार फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोलफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुदगी नोट व सुपुदगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 20-6-2024 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ एवं महिला कानि0 के ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर पटवार हल्का बराला के पास पहुंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया परन्तु आरोपीगण द्वारा रिश्चती राशि नही लेने पर आयन्दा ट्रेप कार्यवाही का निर्णय लेते हुए ब्यूरो कार्यालय वापस आए थे। दिनांक 24-6-2024 परिवादी ने जरिये टेलीफोन सूचना दी की शनिवार दिनांक 22-6-2024 को रोडू मेरे को लाईब्रेरी से मेरे घर पर लेकर आया था और कहा था कि पैसे की व्यवस्था हो तो कर दे और मैडम अभी खिजूरिया मे जमीन नाप रही है तो तेरी भी जमीन नप जायेगी जिस पर मैने मैडम को फोन किया तो मैडम ने फोन नही उठाया तत्पश्चात् आज दिनांक 24-6-2024 को रोडू जी ने मेरे को फोन किया और कहा कि आज मैडम आयेगी तो जमीन नाप देगी पैसे की व्यवस्था कर लो तो मैने कहा था कि मै मैडम से बात कर लूंगा तो मैडम से कहा मैडम कल तक पैसे की व्यवस्था हो जायेगी तो मैडम ने कहा कि मेरे पास बहुत काम है पैसे नही है तो काम भी नही होगा जिस पर मैने मैडम को कहा कि मै दो ढाई बजे तक पैसे की व्यवस्था करके आ जाऊंगा और मैं थोडी ही देर में आपके कार्यालय में पहुंचने वाला हूं। इस पर स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय में तलब कर अग्रिम कार्यवाही की गई। दिनांक 24-6-2024 को समय 12.30 पीएम परिवादी श्री कालूराम द्वारा दिनांक 20-6-2024 को सुपुर्द किए गए पांच पांच सौ रूपये के 40 नोट राशि 20,000 तथा 500-500 रूपये (भारतीय मनोरजन बैंक) के 50 डमी नोट राशि 25,000 उक्त डमी नोटो पर कन्ज 616850 लिखा हुआ है व कुल 45,000रूपये जो एक लिफाफे मे रखकर कार्यालय की आलमारी मे रखे हुए है जिनको श्री सत्येन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक से निकलवाया

जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया जाकर पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी से नम्बरो का मिलान करवाया जाकर रिश्वती राशि (भारतीय मुद्रा) व डमी नोट हूबहू पाए गए। उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल राशि 20,000/-रूपये व 500 रूपये जैसे दिखने वाले डमी करेंसी के कुल 50 नोट कुल राशि 25,000/-रूपये (डमी करेंसी) के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने के लिए इन्टे. शाखा मे पदस्थापित श्री सत्येन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक से कार्यालय की आलमारी में से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल राशि 20,000/-रूपये व 500 रूपये जैसे दिखने वाले डमी करेंसी के कुल 50 नोट कुल राशि 25,000/-रूपये (डमी करेंसी) के नोटों पर श्री सत्येन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक से अच्छी तरह से फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। जिसकी नियमानुसार फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुर्दगी नोट व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 24-6-2024 को समय 1.00 पीएम पर मन् अति.पुलिस अधीक्षक सुनील सिहाग मय जाता, श्री चांदमल स.उ.नि श्री केशवचंद है. कानि. श्री ओमप्रकाश है. कानि. 133 श्री देवेन्द्र सिंह कानि नं0 68,, श्री वीरन्द्र सिंह कानि. श्री विक्रम सिंह कानि. 92, श्रीमति राजबाला म.कानि. मय परिवादी श्री कालुराम व स्वतंत्र गवाहान गिरीराजप्रसाद व श्री जगदीश प्रसाद मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के जरिये दो सरकारी वाहन मय चालक श्री रूपेश कानि वाहन न0 आर0जे0 14 पीई 9166 व रमेश चालक वाहन न0 आर0जे014 यूएच 4774 एवं श्री नीरज भारद्वाज पुलिस उप अधीक्षक को हमराह लिया जाकर सरकारी वाहनो से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर बराला स्टेण्ड के आस पास पहुंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया। समय करीब 3.00 पीएम पर परिवादी श्री कालुराम पुत्र श्री मंगलराम, उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम खजूरिया ब्राह्मणान तहसील बस्सी, पुलिस थाना कानोता ने अपने बदन पर रखी हुए गमछे को उतारकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील सिहाग को निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा पाते ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व आस पास खड़े ब्यूरो स्टॉफ को ईशारा करते हुए एक दुकान के पास पहुंचे जहां पर परिवादी दुकान के पास बनी रेलिंग के पास खड़ा मिला जिससे पूर्व मे सुपुर्द किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने रेलिंग के पास से ही ईशारा कर बताया कि जो महिला सलवार सूट मे खड़ी है वह रीना पटवारी है एवं उसके पास खड़ा हुआ व्यक्ति रोडू है इस परिवादी को साथ लेते हुए रेलिंग से चढ़कर उपर पहुंचकर एक दुकान के बाहर महिला एवं पुरुष खड़ा हुआ है को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना एवं स्वतंत्र गवाहान एवं हमराहीयान जासे का परिचय दते हुए उनका नाम पता पूछा तो महिला ने अपना नाम रीना सोयल पत्नी श्री प्रकाश, जाति खटीक, उम्र 34 साल निवासी ग्राम घाटी करोलान, खौ-नागोरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का बराला अतिरिक्त प्रभार पटवार हल्का खजूरियान ब्राह्मणान, तहसील बस्सी, जिला जयपुर एवं उसके पास खड़े हुए व्यक्ति ने अपना नाम रोडू पुत्र श्री चौथमल, जाति ब्राह्मण, उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम गंगारामपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल ग्राम प्रतिहारी, पटवार हल्का बराला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर होना बताया। परिवादी ने बताया कि जब मैं मेरे गांव के पास से यहां आया तो हमारे गांव का रोडू तथा पटवारी मैडम रीना बैठी हुई मिली थी जिससे नमस्ते बोला तो मेरा पड़ोसी रोडू बोला कि कैसे ले आया क्या तो मैंने कहा ले आया तत्पश्चात् मैडम बोली कि मैं कहती हूं तब ही यह मांगता है तथा एक्स्ट्रा नहीं लेता मैं जितने कहती हूं उतने ही लेता है फिर मैडम ने कहा कि ला तू दे कैसे तो मैंने कैसे टेबल पर रख दिए जिस पर मैडम ने हाथे मे लेकर तीन चार नोट गिने फिर कैसे रोडूराम को गिनने के लिए दे दिये और रोडू ने कैसे गिनना चालू किया तो 15-20 नोट गिनने के बाद नकली नोट आने लग गये तो रोडू ने कहा ये नये नोट आ गये क्या तो मैडम ने उन नोटो को हाथ मे लिया और कहा कि ये कहा से ले आया तू तो मैंने कहा कि मेरे पापा से लाया हूं तो मैडम ने कहा ये नकली है ले जा इन पैसो को उठा टेबिल से ओर ले जा और रोडू से कहा कि हाथ धो लो और अचानक मैडम और रोडू जी बाहर आकर हाथ धोने लग गये और मैंने आपको ईशारा कर दिया था। इस पर श्रीमती रीना पटवारी पटवार हल्का बराला अतिरिक्त प्रभार खजूरियान ब्राह्मणान से रिश्वती राशि 45000/- रूपये के बारे मे पूछा तो श्रीमती रीना पटवारी ने बताया कि मैं श्री कालुराम को जानती हूं यह करीब 7-8 दिन पहले मेरे कार्यालय मे आकर सीमाज्ञान प्रारूप लेकर आया था तथा सीमाज्ञान करवाने हेतु कहा तो मैंने मना कर दिया था कि मेरे पास बहुत काम है मैं सीमाज्ञान नहीं कर सकती हूं तथा मैंने इनसे कोई रिश्वत की मांग नहीं की है तथा ना ही मांगे है । इस पर परिवादी श्री कालुराम ने श्रीमती रीना पटवारी की बातो का खण्डन करते हुए बताया कि मैं जब दिनांक 18-6-2024 को इनसे मिलने आया था तब इन्होंने तथा इनके साथ काम करने वाले रोडू ने मेरे से पूर्व मे मांगे गए 50,000/- रूपये मे से 5000 रूपये कम कर 45000/- रूपये की रिश्वत की मांग की थी तथा कैसे गुरुवार दिनांक 20-6-2024 को देने को कहा था जिसकी अनुसरण में दिनांक 20-6-2024 को मैं रिश्वती राशि लेकर आया था तब पटवारी मैडम तथा रोडू जी वहां पर मिले थे लेकिन उस दिन हमारे जमीन के आधे हिस्सेदार की पटवारी मैडम से नोक झोंक हो गई थी इस कारण मैडम ने मेरे से रिश्वत राशि नहीं ली और रोडू ने कहा था कि कैसे तेरे पास ही रख तथा मैडम ने कहा था कि मैं तेरी जमीन नाप दूंगी लेकिन तेरा पड़ोसी खराब है तत्पश्चात् शानिवार दिनांक 22-6-2024 को रोडू मेरे को लाईब्रेरी से मेरे घर पर लेकर आया था और कहा था कि कैसे की व्यवस्था हो तो कर दे और मैडम अभी खजूरिया मे जमीन नाप रही है तो तेरी भी जमीन नप

जायेगी जिस पर मैंने मैडम को फोन किया तो मैडम ने फोन नहीं उठाया तत्पश्चात् आज दिनांक 24-6-2024 को रोडू जी ने मेरे को फोन किया और कहा कि आज मैडम आयेगी तो जमीन नाप देगी जैसे की व्यवस्था कर लो तो मैंने कहा था कि मैं मैडम से बात कर लूंगा तो मैडम से कहा मैडमकल तक जैसे की व्यवस्था हो जायेगी तो मैडम ने कहा कि मेरेपास बहुत काम है जैसे नहीं है तो काम भी नहीं होगा जिस पर मैंने मैडम को कहा कि मैं दो ढाई बजे तक जैसे की व्यवस्था करके आ जाऊंगा। जिस पर इनकी मांग के अनुसंरण में जब मे मैं मेरे गांव के पास से यहां आया तो हमारे गांव का रोडू तथा पटवारी मैडम रीना बैठी हुई मिली थी जिससे नमस्ते बोला तो मेरा पड़ोसी रोडू बोला कि जैसे ले आया क्या तो मैंने कहा ले आया तत्पश्चात् मैडम बोली कि मैं कहती हूं तब ही यह मांगता है तथा एक्स्ट्रा नहीं लेता मैं जितने कहती हूं उतने ही लेता है फिर मैडम ने कहा कि ला तू दे जैसे तो मैंने जैसे टेबल पर रख दिए जिस पर मैडम ने हाथे मे लेकर तीन चार नोट गिलने फिर जैसे रोडू को गिनने के लिए दे दिये और रोडू ने जैसे गिनना चालू किया तो 14-20 नोट गिनने के बाद नकली नोट आने लग गये तो रोडू ने कहा ये नये नोट आ गये क्या तो मैडम ने उन नोटो को हाथ मे लिया और कहा कि ये कहा से ले आया तू ते मैंने कहा कि मेरे पापा से लाया हूं तो मैडम ने कहा ये नकली है ले जा इन पैसो को उठा टेबिल से ओर ले जाकर और रोडू से कहा कि हाथ धो लो और अचानक मैडम और रोडू जी बाहर आकर हाथ धोने लग गये और मैंने आपको ईशारा कर दिया था। श्री रोडू से परिवादी श्री कालूराम से ली गई रिश्वती राशि 45000/- रुपये के बारे मे पूछताछ की गई तो श्री रोडू ने बताया कि मैं कालू को जानता हूं यह हमारे गांव का पड़ोसी है तथा ग्राम पटवार हल्का बराला मे ग्राम प्रतिहारी के रूप मे कार्य करता हूं मैंने श्री कालूराम से कोई रिश्वत की राशि की मांग नहीं की तथा ना ही मैंने कोई रिश्वत के रुपये नहीं लिए है। इस पर परिवादी श्री कालूराम ने श्री रोडू की बातो का खण्डन करते हुए बताया कि मैं जब दिनांक 18-6-2024 को इनसे मिलने आया था तब रोडू ने मुझे से कहा था कि पूर्व में बताए गए रूपयो मे से 5000/- रुपये कम करते हुए 45000/- रुपये की रिश्वत की मांग करते हुए गुरुवार शुक्रवार को देने की कही थी। तथा जैसे गुरुवार दिनांक 20-6-2024 को देने को कहा था जिसकी अनुसंरण में दिनांक 20-6-2024 को मैं रिश्वती राशि लेकर आया था तब पटवारी मैडम तथा रोडू जी वहां पर मिले थे लेकिन उस दिन हमारे जमीन के आधे हिस्सेदार की पटवारी मैडम से नोक झोंक हो गई थी इस कारण मैडम ने मेरे से रिश्वत राशि नहीं ली ओर रोडू ने कहा था कि जैसे तेरे पास ही रख तथा मैडम ने कहा था कि मैं तेरी जमीन नाप दूंगी लेकिन तेरा पड़ोसी खराब है तत्पश्चात् शानिवार दिनांक 22-6-2024 को रोडू मेरे को लाईब्रेरी से मेरे घर पर लेकर आया था और कहा था कि जैसे की व्यवस्था हो तो कर दे और मैडम अभी खिजूरिया मे जमीन नाप रही है तो तेरी भी जमीन नप जायेगी जिस पर मैंने मैडम को फोन किया तो मैडम ने फोन नहीं उठाया तत्पश्चात् आज दिनांक 24-6-2024 को रोडू जी ने मेरे को फोन किया और कहा कि आज मैडम आयेगी तो जमीन नाप देगी जैसे की व्यवस्था कर लो तो मैंने कहा था कि मैं मैडम से बात कर लूंगा तो मैडम से कहा मैडम कल तक जैसे की व्यवस्था हो जायेगी तो मैडम ने कहा कि मेरेपास बहुत काम है जैसे नहीं है तो काम भी नहीं होगा जिस पर मैंने मैडम को कहा कि मैं दो ढाई बजे तक जैसे की व्यवस्था करके आ जाऊंगा। इनकी मांग के अनुसंरण में जब मे मैं मेरे गांव के पास से यहां आया तो रोडू तथा पटवारी मैडम रीना बैठी हुई मिली थी जिससे नमस्ते बोला तो रोडू जी ने कहा कि जैसे ले आया क्या तो मैंने कहा ले आया तत्पश्चात् मैडम बोली कि मैं कहती हूं तब ही यह मांगता है तथा एक्स्ट्रा नहीं लेता मैं जितने कहती हूं उतने ही लेता है फिर मैडम ने कहा कि ला तू दे जैसे तो मैंने जैसे टेबल पर रख लिदए जिस पर मैडम ने हाथे मे लेकर तीन चार नोट गिने फिर जैसे रोडूराम को गिनने के लिए दे दिये और रोडू ने जैसे गिनना चालू किया तो 15-20 नोट गिनने के बाद नकली नोट आने लग गये तो रोडू ने कहा ये नये नोट आ गये क्या तो मैडम ने उन नोटो को हाथ मे लिया और कहा कि ये कहा से ले आया तू ते मैंने कहा कि मेरे पापा से लाया हूं तो मैडम ने कहा ये नकली है ले जा इन पैसो को उठा टेबिल से ओर ले जाकर और रोडूराम से कहा कि हाथ धो लो और अचानक मैडम और रोडू जी बाहर आकर हाथ धोने लग गये और मैंने आपको ईशारा कर दिया था। चूंकि आरोपिया श्रीमती रीना पटवारी एवं श्री रोडू द्वारा रिश्वती राशि को हाथ लगाया है ऐसी स्थिति में मे दोनो के हाथो के धोवन लिया जाना आवश्यक है। ट्रेप बॉक्स से एक प्लास्टिक का गिलास निकालकर उसमें श्रीमती रीना पटवारी द्वारा ऑफिस के रूप किराये पर ली हुई दुकान मे रखा पानी के केन से साफ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया जाकर समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगही होना स्वीकार किया उक्त तैयार शुदा गिलास के घोल मे श्री रोडू ग्राम प्रतिहारी के दाहिने हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरिन ने धोवन के रंग हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर मार्क आर-1, आर-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। प्लास्टिक के गिलास को कैची से काटकर फिकवाया गया। ट्रेप बॉक्स से एक प्लास्टिक का गिलास निकालकर उसमें श्रीमती रीना पटवारी द्वारा ऑफिस के रूप किराये पर ली हुई दुकान मे रखा पानी के केन से साफ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया जाकर समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त तैयार शुदा गिलास के घोल मे श्री रोडू ग्राम प्रतिहारी के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरिन ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा

डालकर सिल चिट मोहर मार्क एल-1, एल-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। प्लास्टिक के गिलास को कैची से काटकर फिकवाया गया। ट्रेप बॉक्स से एक प्लास्टिक का गिलास निकालकर उसमें श्रीमती रीना पटवारी द्वारा ऑफिस के रूप किराये पर ली हुई दुकान में रखा पानी के केन से साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया जाकर समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त तैयार शुदा गिलास के घोल में श्रीमती रीना पटवारी के दाहिने हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरिन ने धोवन के रंग हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर मार्क आरआर-1, आरआर-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। प्लास्टिक के गिलास को कैची से काटकर फिकवाया गया। ट्रेप बॉक्स से एक प्लास्टिक का गिलास निकालकर उसमें श्रीमती रीना पटवारी द्वारा ऑफिस के रूप किराये पर ली हुई दुकान में रखा पानी के केन से साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया जाकर समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगही होना स्वीकार किया उक्त तैयार शुदा गिलास के घोल में श्रीमती रीना पटवारी के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरिन ने धोवन के रंग हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर मार्क आरएल-1, आरएल-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। प्लास्टिक के गिलास को कैची से काटकर फिकवाया गया। तत्पश्चात् उक्त किराये की दुकान में लगी टेबिल पर रखे रिश्वती राशि के 45000/- रूपये जिनमें 20,000/- रूपये की भारतीय मुद्रा एवं 25000/- रूपये के डमी नोट है को स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश से उठवाई जाकर ब्यूरो में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया भारतीय मुद्रा के पांच पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल 20,000/- रूपये एवं तथा 500-500 रूपये (भारतीय मनोरजन बैंक) के 50 डमी नोट राशि 25,000 उक्त डमी नोटो पर DUK 616850 लिखा हुआ है कुल 45000/- रूपये की रिश्वती राशि जिसमें भारतीय मुद्रा के नम्बरी नोट फर्द पेशकशी में अंकित किए गए थे जो हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए जिनको स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया। चूंकि आरोपीगण द्वारा रिश्वती राशि 45000/- रूपये को अपनी टैबिल के उपर रखा था तथा रिश्वती राशि 45000/- रूपये भी श्रीमती रीना के कार्यालय में रखी टैबिल से बरामद हुई है अतः उक्त रिश्वती बरामदगी स्थत का धोवन लेना अनिवार्य है ऐसी स्थिति में ट्रेप बॉक्स से एक साफ प्लास्टिक का गिलास निकालकर उसमें श्रीमती रीना पटवारी द्वारा ऑफिस के रूप किराये पर ली हुई दुकान में रखा पानी के केन से साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया जाकर समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा घोल से टेबिल का धोवन लेने हेतु एक कपड़े की चिंदी लेकर उसको गिलास में बारी-बारी से डूबोकर टेबल के उपर रगड़कर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरिन ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा डालकर सिल चिट मोहर मार्क टी-1, टी-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। प्लास्टिक के गिलास को कैची से काटकर फिकवाया गया एवं कपड़े की चिंदी को सुखवाकर उस पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "सी" अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। श्रीमती रीना पटवारी पटवार हल्का बराला अतिरिक्त प्रभार खजूरियान ब्राह्मणान से परिवादी श्री कालूराम के कार्य से संबंधित प्रार्थना पत्र के बारे में जानकारी चाही गई तो श्रीमती रीना ने अपने सामने रखे प्लास्टिक फोल्डर से श्री कालूराम का प्रार्थना पत्र निकालकर पेश किया गया जिसका अवलोकन किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र साथ लिया गया। दर्ज रहे कि मौके पर लिखा पट्टी की पर्याप्त व्यवस्था नही होने के कारण कार्यालय में पहुंचकर लिखापट्टी करने का निर्णय लिया गया तथा घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया तथा आरोपी श्री रोडू का निवास स्थान पास में ही होने के कारण ट्रेप कार्यवाहि बाधिक होने तथा कानून व्यवस्था खराब होने का अंदेशा होने के कारण जप्त शुदा धोवन के सेम्पल व रिश्वती राशि एवं श्रीमती रीना पटवारी एवं श्री राडू को हमराह साथ लेकर सरकारी वाहनो से मौके से रवाना होकर समय करीब 4.30 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय में पहुंचकर लिखापट्टी आरंभ की गई। पूर्व में स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश के पास सुरक्षित रखवाई हुई रिश्वती राशि 45000/- रूपये जिसमें पांच पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल 20,000/- रूपये (भारतीय मुद्रा) एवं 50 डमी नोट राशि 25,000 जिन सभी पर (भारतीय मनोरजन बैंक) एवं DUK 616850 लिखा हुआ है जिसका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल 20000/- रूपये की भारतीय मुद्रा के हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। उक्त पांच पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल 20,000/- रूपये (भारतीय मुद्रा) एवं 50 डमी नोट राशि 25,000 जिन सभी पर (भारतीय मनोरजन बैंक) एवं DUK 616850 लिखा हुआ है को एक सफेद कागज के साथ सिल कर सिल चिट मोहर किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को बारी-बारी चलाकर सरसरी तौर पर सुना गया तो उसमें रिश्वत लेन देन के वक्त की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है। दिनांक 20-6-2024 को रिश्वत लेन देन से पूर्व एवं रिश्वत लेन देन दिनांक 24-6-2024 को हुई रिकार्ड वार्ता की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं डीवीडी तैयार की गई। अब तक की कार्यवाही से श्रीमती रीना सोयल पत्रि श्री प्रकाश,

जाति खटीक, उम्र 34 साल निवासी ग्राम घाटी करोलान, खौ-नागोरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का बराला अतिरिक्त प्रभार पटवार हल्का खजूरियान ब्राहमणान, तहसील बस्सी, जिला जयपुर एवं श्री रोडू पुत्र श्री चौथू, जाति ब्राहमण, उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम 14 गंगारामपुरा, खिजूरिया ब्राहमणान, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल ग्राम प्रतिहारी, पटवार हल्का बराला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर द्वारा परिवादी श्री कालूराम निवासी खिजूरिया ब्राहमणान की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करने की ऐवज में 45000/- रूपये रिश्तत की मांग करना एवं मांग के अनुसरण 45000/- रूपये जिसमें पांच पांच सौ रूपये के 40 नोट भारतीय मुद्रा एवं 50 डमी नोट राशि 25,000 जिन सभी पर (भारतीय मनोरजन बैंक) एवं DUK 616850 लिखा हुआ प्राप्त करना एवं आरोपिया श्रीमती रीना के दाहिने हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी एवं बांये हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी एवं श्री रोडू के दाहिने हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी एवं बांये हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया है। जिससे इनका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पी0सी0 एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) वर्ष 2018 एव 120बी भा0दं0सं0 का पाया जाने पर श्रीमती रीना सोयल हाल पटवारी पटवार हल्का बराला अतिरिक्त प्रभार पटवार हल्का खजूरियान ब्राहमणान, तहसील बस्सी, जिला जयपुर एवं श्री रोडू पुत्र श्री चौथू, जाति ब्राहमण, उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम गंगारामपुरा, खिजूरिया ब्राहमणान, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल ग्राम प्रतिहारी, पटवार हल्का बराला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर को पृथक-पृथक जरिये फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार तैयार कर गिरफ्तार किया गया। अतः (1) श्रीमती रीना सोयल पत्नि श्री प्रकाश, जाति खटीक, उम्र 34 साल निवासी ग्राम घाटी करोलान, खौ-नागोरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का बराला अतिरिक्त प्रभार पटवार हल्का खजूरियान ब्राहमणान, तहसील बस्सी, जिला जयपुर एवं (2) श्री रोडू पुत्र श्री चौथू, जाति ब्राहमण, उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम 14 गंगारामपुरा, खिजूरिया ब्राहमणान, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल ग्राम प्रतिहारी, पटवार हल्का बराला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। (सुनील सिहाग) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर।कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुनील सिहाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा0दं0सं0 में आरोपीगण 1.श्रीमती रीना सोयल पत्नि श्री प्रकाश, जाति खटीक, उम्र 34 साल निवासी ग्राम घाटी करोलान, खौ-नागोरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का बराला अतिरिक्त प्रभार पटवार हल्का खजूरियान ब्राहमणान, तहसील बस्सी, जिला जयपुर 2.श्री रोडू पुत्र श्री चौथू, जाति ब्राहमण, उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम गंगारामपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल ग्राम प्रतिहारी, पटवार हल्का बराला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री नवल किशोर पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 398 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज., जयपुर क्रमांक 618-22 दिनांक 25.06.2024 प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या -1 जयपुर। 2 जिला कलक्टर जयपुर। 3 तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज., जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): NAVAL KISHORE Rank उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): MEENA (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.


(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rejaathan,IN
Date: 25/06/2024 19:00



15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनाबट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1990				
2	Male	1975				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियों/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दोँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)